



19/9/18 के

1

123

4862/पी.वी.आर/2018
प्राणुति दिनांक-24.8.18

श्रीमान राजस्व मंडल जलालपुर के मा इकोर (म.प्र.)
फुलियापन-55/9/2018/इकोर/अ.र.

1) श्रीमती गजोबाई पति बेणीराध

2) बेणीराध पिता नंदाजी

श्रीमान राजस्व मंडल के मा इकोर

24-8-18 को
प्राणुति दिनांक

24-8-18

नि. पंचोला तहसीलेर जिला इकोर

शर्पागण

विषय

बहीलाल पिता मललाजी

निवासी-पंचोला तहसीलेर जिला इकोर

पतिशर्पा

शर्पापत्र अन्तर्गत धारा 35 मं.प्र. पू. रवि सलिया

शर्पागण की ओर से नक्ष निवेदन है कि:-

(1) प्रतदि दिनांक 23-8-18 को 657 प्रकार मानवीय न्यायलय के समक्ष प्राथमिक तर्क लेखु निपत या दिवस उक्त प्रकार में अधिभाषक की अनुपस्थिति में प्रकार निकाला हुआ।

(2) प्रतदि उक्त दिनांक 23-8-018 को अन्य प्रकार (अशाशक विषय भागुबाई वगेरवा) निपत या अन्तर्गत अधिभाषक की आपत्तीय न्यायलय के अन्तर्गत उपस्थित लेखु लिपित तर्क प्रस्तुत किया गया इस प्रकार अशाशक न्यायलय के समक्ष सदा प्रकार में पेशी दिनांक 24-8-18 सुबह 10 बजे होने से उपस्थित नहीं लेखु के अन्तर्गत आगामी आठ दिनांक 24-8-18 को पता करने पर हुई कि उक्त प्रकार अधिभाषक के निवेदन हुआ है इस कारण आपकी आवेदन पर अधिलक्ष प्रस्तुत किया है।

(3) प्रतदि दिनांक 23-8-18 की अनुपस्थिति का प्रोजेक्ट पर्याप्त कारण लेकर सुबह 10 बजे का परीक्षा में लेखु अधिभाषक की अनुपस्थिति सदाश्री कारण से मान्य कर प्रकार की गुण दोष पर पुनर्वाही किया जाना न्यायलय में आवश्यक है।

अन्तर्गत न्यायलय में आवेदन पत्र उक्त कारणों के अन्तर्गत में लीकार कर प्र. 4862/पी.वी.आर/2018 (गजोबाई वि. बहीलाल) निकालता 23-8-18 को अधिलक्ष पर लिपि जाकर गुण दोष पर पुनर्वाही लेखु मोडश लेखु प्रती दिनांक है
इकोर दि. 24-8-18

उपस्थित कर्मी
शर्पागण
निवासी-पंचोला तहसीलेर जिला इकोर

(Handwritten mark)



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग अ

299 13
2

राजस्व मंडल का प्रकरण क्रमांक:पुनस्थापन -5519/2018/इंदौर/भू-रा.....

तहसील:

जिला:इंदौर.....

पुर्न/पुनर्विलोकन में राजस्व मंडल का
प्रकरण :

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक:

कलेक्टर के कार्यालय का प्रकरण
क्रमांक:

अनुविभागीय पदाधिकारी का प्रकरण
क्रमांक :

तहसील का प्रकरण क्रमांक:

यदि कोई अन्य न्यायालय हो तो :निगरानी/4862/2018/इंदौर/भूरा.....

वाद का विषय:पुनस्थापन

अधिनियम एवं धारा जिसके अंतर्गत
प्रकरण यहाँ प्रस्तुत हुआ है :म.प्र.भू.रा.संहिता.....

स्थान एवं
दिनांक

कार्यवाही अथवा आदेश

पक्षकारों
एवं
अभिभाषक
आदि के
हस्ताक्षर

आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला....इंदौर.... ।के मूल/अपीलीय आदेश
दिनांक : ...23/08/2018... के विरुद्ध
...गजीबाई, बेणीराम... ।...बद्रीलाल.. ।...जशवंतसिंह,... के अभिभाषक द्वारा
पुनस्थापन - पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है ।

प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक ...19/09/2018...है । जिसकी सूचना आपको
एस.एम.एस. से दी जा चुकी है।

19-9-18

DD

आदेश व उनके अधिकारों उपरान्त
अनुपारिमत । आदेश व उनके अधिकारों पर सम-
क्षेत्र पर लीज वार सुकार अज्ञात गई । परन्तु
कोई उपारिमत नहीं । प्रकरण आदेश व उनके
अधिकारों भी अनुपारिमत के कारण प्रकरण अदम
पैरवी के खारेज किया जाता है।

अदम

प्रस्तुतकार